ग्राम पंचायत सेरी कोठी, विकास खण्ड सुंदर नगर, जिला मंडी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 **द्वारा** पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सेरी कोठी, विकास खण्ड सुंदर नगर, जिला मंडी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग **द्वारा** किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री कांशी राम	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति जसमति देवी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री सुभाष चन्द	01.04.14 से 17.02.16 तक
2	श्री बाबू राम	17.02.16 से 12.09.16 तक
3	श्री दिनेश कुमार	12.09.16 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सेरी कोठी, विकास खण्ड सुंदर नगर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तर	1.29
2	5	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.11
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	14.14
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.23
5	8	क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	1.55
6	10	सोलर स्ट्रीट लाइट्स के क्रय में अनियमिततायें	8.88
7	11	पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय का अधिक भुगतान	0.03

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सेरी कोठी, विकास खण्ड सुंदर नगर, जिला मंडी के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी एवं श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक **द्वारा** दिनांक 17.03.18 से 21.03.2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	03/2015	09/2014
2015-16	03/2016	05/2015
2016-17	09/2016	01/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत सेरी कोठी, विकास खण्ड सुंदर नगर, जिला मंडी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिoप्रo) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 21.03.18 **द्वारा** अनुरोध किया गया

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत सेरी कोठी, **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्त्रौत :- ग्राम पंचायत सेरी कोठी, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व: स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	192723.47	68790	261513.47	11369	250144.47
2015-16	250144.47	47835	297979.47	17966	280013.47
2016-17	280013.47	97658	377671.47	29744	347927.47

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत सेरी कोठी, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1373856.33	2779970	4153826.33	3221673	932153.33
2015-16	932153.33	3778629	4710782.33	3003064	1707718.33
2016-17	1707718.33	7458449.28	9166167.61	7752253.80	1413913.81

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹347927.47

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹1413913.81

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में

दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹1761841.28

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹1632948.28

(परिशिष्ट-2)

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि (स्व- स्त्रौत) : ₹109

अन्तर की राशि : ₹128784

बैंक खाता संख्या	**राशि**
3250100121	1038015.48
3250100168	269216.80
1025104000009676	4522
1025104000009683	60588
1025104000004190	114287
1025104000004206	57495
1025104000009706	18675
1025104000009713	63614
1025104000034520	6535
कुल योग	**₹1632948.28**

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.17 को ₹1.29 लाख का अन्तर:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹128784 का अन्तर पाया गया, यह राशि बैंकों में रोकड़ बहियों की तुलना में कम जमा पाई गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 01 दिनांक 19.03.18 **द्वारा** स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक मिलान नही किया गया। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 पंचायत राजस्व ₹0 . 11 लाख वसूली हेतु शेषः-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.17 तक गृहकर के रूप में वसूली हेतु ₹11490 शेष थी : –

गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	3670	5490	9160	9160	-
2015-16	-	5490	5490	-	5490
2016-17	5490	6000	11490	-	11490

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए ।

6 अनुदान ₹14.14 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत **द्वारा** अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1413914 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.23 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 **द्वारा** स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-4 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत **द्वारा** ₹122586 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

8 ₹1.55 लाख की क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-5 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत **द्वारा** ₹154634 की क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित

करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत **द्वारा** उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत **द्वारा** प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है ताकि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत **द्वारा** इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये।

10 ₹8.88 लाख की सोलर लाइटस क्रय में अनियमितताएँ:-

पंचायत **द्वारा** निम्न विवरण के अनुसार मेसर्स हिम पॉवर, नेरचौक से 44 सोलर स्ट्रीट लाइट न्यूनतम भाव दरों के आधार पर खरीदी |

क्र सं.	वाउचर सं./माह	विवरण	दर	बिल सं./दिनांक	राशि
1.	51 माह 07/16	8 सोलर स्ट्रीट लाइट (9 WATT)	20500 per set	499 dt.06.07.16	164000
2.	52 माह 07/16	1 सोलर स्ट्रीट लाइट (9 WATT)	20500 per set	500 dt.06.07.16	20500
3	53 माह 07/16	1 सोलर स्ट्रीट लाइट (6 WATT)	20000 per set	494 dt. 06.07.16	20000
4.	54 माह 07/16	-do-	20000 per set	493 dt.06.07.16	20000
5.	55 माह 07/16	-do-	20000 per set	492 dt.06.07.16	20000
6.	56 माह 07/16	-do-	20000 per set	491 dt.06.07.16	20000
7.	57 माह 07/16	-do-	20000 per set	490 dt.06.07.16	20000
8.	58 माह 07/16	-do-	20000 per set	489 dt.06.07.16	20000
9.	59 माह 07/16	-do-	20000 per set	488 dt.06.07.16	20000
10.	60 माह 07/16	-do-	20000 per set	486 dt.06.07.16	20000
11.	61 माह 07/16	-do-	20000 per set	487 dt.06.07.16	20000
12.	62 माह 07/16	-do-	20000 per set	484 dt.06.07.16	20000
13.	63 माह 07/16	-do-	20000 per set	485 dt.06.07.16	20000

14.	08 माह 01/17	24 सोलर स्ट्रीट लाइट (15 WATT)	20167 per set	525 dt.14.01.17	484000
			कुल योग		**₹888500**

इस क्रय में निम्न अनियमितताएँ पाई गई :-

(1) सरकार **द्वारा** सोलर लाइट्स, सप्लाई करने के लिए अधिकृत संस्था हिम उर्जा से क्रय नही की गयी जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये I

(2) भाव दरें आमंत्रित करने हेतु को दैनिक समाचार पत्रों हिंदुस्तान टाइम्स तथा दैनिक न्याय सेतु में विज्ञापन दिया गया, जबकि HPFR-2009 के नियम 102 (1) के अनुसार सरकारी राजपत्र/ गिरिराज (साप्ताहिक) में भी इसे विज्ञापित किया जाना अपेक्षित था I

(3) तकनीकी तथा जटिल (complex) क्रय होने के कारण नियम 102 (5) (a) के अनुसार फर्मों से technical bids प्राप्त नहीं किए गये I

(4) नियम 106 के अंतर्गत क्रय की मात्रा/ राशि का 2 से 5 प्रतिशत earnest money प्राप्त नहीं किया गया I

(5) नियम 105 के अनुसार आपूर्तिकार संस्था से maintenance contract नहीं किया गया I

उपरोक्त अनियमितताओं बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस क्रय को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

11 पंचायत पदाधिकारियों को ₹0.03 लाख मानदेय का अधिक भुगतान:

चयनित मासों के व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 104 माह 01/17 **द्वारा** पंचायत सदस्यों को मासिक आधार पर मानदेय का भुगतान किया था जबकि नियमानुसार उन्हें पंचायत की बैठकों में उपस्तिथि के आधार पर मानदेय का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । पंचायत के कार्यावाही रजिस्टर के अनुसार निम्न सदस्यों को बैठकों में अनुपस्थित होने के बावजूद भी मानदेय का अधिक भुगतान हुआ जिसकी वसूली सम्बंधित पंचायत सदस्य/उत्तरदायी कर्मचारी से कर के पंचायत निधि में जमा कारवाई जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाए जाए।

क्रम सं.	सदस्य का नाम	वसूली योग्य राशि
1.	श्रीमति कांता देवी	2 x 225 = 450
2.	श्री नारायण दास	1 x 225 = 225
3.	श्रीमति रीना	1 x 225 = 225
4.	श्रीमति सावित्री	3 x 225 = 675
5.	श्री चेत राम	2 x 225 = 450
6.	श्रीमति कमलेश कुमारी	1 x 225 = 225
7.	श्री नीम चन्द	3 x 225 = 675
	कुल योग	**₹2925**

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :- हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न

रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।

13 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया I

15 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(xi) 62/2018 खण्ड–1–4098–4101 दिनांक04.06.2018 शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत सेरी कोठी, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046